

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 3539/11-सी-FP/UP/Pipeline/152159/2022, लखनऊ, दिनांक: मई 09, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद सम्भल में टोरेन्ट गैस प्रा०लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग एन०एच०-509 (पुराना एन०एच०-93) किमी० चैनेज 192.320 से 197.450 तक (5130 मी०) बाँधी पटरी एवं बदौयू-चन्दौसी मार्ग (एस०एच०-43) किमी० चैनेज 42.000 से 44.170 तक बाँधी पटरी (2170 मी०) 4" प्राकृतिक गैस पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.438 हे० क्षेत्रफल में भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०-FP/UP/Pipeline/152159/2022

सन्दर्भ:- उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी-358/81-2-2022-800(393)/2022, दिनांक-12.01.2023
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक-3165/14-1 दिनांक 26.04.2023 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 3539/11-सी-FP/UP/Pipeline/152159/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।
- 3- मैनेजर, टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड 1 फ्लोर, पराईडल स्कवायर बिल्डिंग, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।